भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 457

03 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

पथ विक्रेताओं हेतु योजनाएं

457. डा. डी.एन. वी. सेंथिलकुमार एस:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री गौतम सिगामणि पोन:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री धनुष एम. कुमार:

श्री जी. सेल्वम:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में पथ विक्रेताओं की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पथ विक्रेताओं के कल्याण को लक्ष्य करके ठोस योजनाएं शुरू कर सकेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

(ग) पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही वर्तमान योजनाओं तथा आवंटित एवं उपयोग की गई निधीयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष के दौरन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विक्रेता लाभान्वित हुए हैं;

(ड.) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में भी पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा कल्याण उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इन लोगों के लिए स्वरोजगार अवसरों को बढ़ने हेतु ऋण/मूलभूत अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रिपोर्ट के अनुसार, 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक -I पर हैं।

(ख) और (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के एक घटक के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स (एसयूएसवी) के तहत सहायता लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को दूर करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत समेकित तरीके से निधियां जारी की जाती हैं, जिसमें से विभिन्न घटकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता और क्षमता के आधार पर परस्पर आवंटन किया जाता है।पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

दिनांक 01 जून, 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों को माइक्रो क्रेडिट की सुविधा के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मानिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना शुरू की, ताकि वे कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रु. तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाद 20,000 रु.और 50,000 रु. के ऋण क्रमशः दूसरी और तीसरी किश्त में, पहले किश्त (ओं) के पुनर्भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं।ऋण राशि सीधे ऋणदाता संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों को जारी की जाती है। हालाँकि, पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवंटित और उपयोग की जाने वाली धनराशि इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
2020-21	113.79	113.67
2021-22	200.00	156.29

स्ट्रीट वेंडरों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 4 जनवरी 2021 को 125 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में "स्वनिधि से समृद्धि" का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का चयन करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ना है।

(घ) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से डीएवाई-एनयूएलएम, पीएम स्वनिधि और "स्वनिधि से समृद्धि" के तहत लाभान्वित होने वाले स्ट्रीट वेंडरों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक-III पर है।

पीएम स्वानिधि योजना ऋण देने वाले संस्थानों के माध्यम से और स्वनिधि से समृद्धि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट की सुविधा प्रदान करती है, "स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं।

(ड.) और (च): पीएम स्वानिधि योजना ऋण देने वाले संस्थानों के माध्यम से और स्वनिधि से समृद्धि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट की सुविधा प्रदान करती है, "स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं।

*****

दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 457 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	633
2	आंध्र प्रदेश	2,56,926
3	अरुणाचल प्रदेश	7,605
4	असम	54,984
5	बिहार	1,56,965
6	चंडीगढ़	10,930
7	छत्तीसगढ	1,06,520
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,928
9	दिल्ली	72,457
10	गोवा	2,881
1 1	गुजरात	3,21,406
12	हरियाणा	1,17,028
13	हिमाचल प्रदेश	6,486
14	जम्मू और कश्मीर	31,777
15	झारखंड	71,923
16	कर्नाटक	2,65,477
17	केरल	23,154
18	लद्दाख	427
19	मध्य प्रदेश	7,04,587
20	महाराष्ट्र	5,84,416
21	मणिपुर	15,698
22	मेघालय	1,764
23	मिजोरम	3,960
24	नगालैंड	4,302
25	उड़ीसा	80,841
26	पुदुचेरी	3,144
27	पंजाब	1,49,215
28	राजस्थान	1,93,568
29	सिक्किम	0
30	तमिलनाडु	3,09,449
31	तेलंगाना	5,02,233
32	त्रिपुरा	8,666
33	उतर प्रदेश	8,49,108
34	उत्तराखंड	26,483
35	पश्चिम बंगाल	673
	कुल	**49,48,614**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (बी) और (सी) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II । 457 का उत्तर 3 फरवरी, 2022 को दिया जाएगा।

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
क्रमांक नहीं	**राज्य क्षेत्र राज्य/संघ**	**रिहा**	**उपयोग किया**	**रिहा**	**उपयोग किया**	**रिहा**	**उपयोग किया**	**रिहा**	**उपयोग किया**	**रिहा**	**उपयोग किया**
1	आंध्र प्रदेश	56.30	56.30	36.31	36.31	30.20	30.20	98.45	98.45	58.23	47.19
2	अरुणाचल प्रदेश	1.43	1.43	6.22	6.22	3.66	3.66	6.59	6.59	9.36	2.89
3	असम	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	14.86	14.86	21.92	14.95
4	बिहार	22.38	22.38	0.00	0.00	42.52	42.52	31.08	31.08	30.90	18.69
5	छत्तीसगढ	13.46	13.46	34.56	34.56	21.15	21.15	17.02	11.28	0.00	0.00
6	गोवा	0.23	0.23	2.08	2.08	4.85	4.85	3.40	3.40	3.90	2.72
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94	30.94	14.08	14.08	71.58	66.42
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	29.63	10.54	0.01
9	हिमाचल प्रदेश	3.56	3.56	8.05	8.05	1.69	1.69	6.81	6.81	10.21	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	1.89	1.89	3.23	3.23	11.56	11.56	3.67	3.53
1 1	झारखंड	15.36	15.36	44.89	44.89	11.24	11.24	16.28	16.28	16.28	8.48
12	कर्नाटक	0.00	0.00	23.08	23.08	0.00	0.00	16.46	16.46	32.07	6.85
13	केरल	0.00	0.00	25.19	25.19	18.60	18.60	24.09	24.09	27.90	26.13
14	मध्य प्रदेश	28.80	28.80	41.75	41.75	21.60	21.60	48.80	48.80	55.09	50.44
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	77.18

16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.97	2.98	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	1.00
18	मिजोरम	20.93	20.93	12.73	12.73	6.82	6.82	5.82	5.82	16.17	16.17
19	नगालैंड	8.45	8.45	10.87	10.87	3.43	3.43	4.06	4.06	6.96	1.75
20	उड़ीसा	6.56	6.56	17.05	17.05	16.24	16.24	14.32	14.32	20.07	12.32
21	पंजाब	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00	16.17	16.17	0.00	0.00
22	राजस्थान	7.92	7.92	28.51	28.51	31.10	31.10	38.11	38.11	39.31	37.27
23	सिक्किम	0.97	0.97	2.31	2.31	1.12	1.12	2.44	1.49	1.10	0.00
24	तमिलनाडु	58.45	58.45	78.85	78.85	68.53	68.53	81.36	81.36	110.65	110.65
25	तेलंगाना	4.70	4.70	32.49	32.49	15.56	15.56	42.13	42.13	38.10	22.61
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	8.93	8.93	6.33	6.33	7.88	7.88	13.48	9.77
27	उतर प्रदेश	22.66	22.66	71.95	71.95	53.38	53.38	98.56	98.56	65.34	51.94
28	उत्तराखंड	5.38	5.38	8.00	8.00	7.75	7.75	7.32	4.42	6.05	0.00
29	पश्चिम बंगाल	8.31	8.31	32.96	32.96	35.94	35.94	25.79	25.79	34.30	16.32
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.93	0.93	1.99	1.99	1.82	1.82	3.08	3.08	1.82	1.31
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पुदुचेरी	2.79	2.79	2.97	2.97	1.97	1.97	2.97	2.97	4.20	0.00
	कुल	**290.63**	**290.12**	**556.73**	**556.73**	**439.85**	**439.67**	**692.76**	**680.50**	**812.11**	**606.58**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III 457 का उत्तर 03.02.2022 को दिया जाना है

डीएवाई-एनयूएलएम, पीएम स्वानिधि और 'स्वनिधि से समृद्धि' के तहत लाभान्वित महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या दर्शाने वाला विवरण

<u>डीएवाई-एनयूएलएम</u>

राज्य का नाम	वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी किया गया				जारी किए गए पहचान पत्र			
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	349	327	0	0	0	670
महाराष्ट्र	0	0	29,162	9	0	0	8,176	0
तमिलनाडु	0	30,299	17,906	5,510	13,650	168	1	0

<u>प्रधानमंत्री स्वनिधि</u>

उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को वितरित किए गए ऋणों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22 (26.01.2022 को)	कुल
महाराष्ट्र	1,41,158	50,776	1,91,934
तमिलनाडु	82,379	73,956	1,56,335
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	379	95	474

स्वानिधि से समृद्धि

स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के स्कीम लिंकेज की संख्या

योजना का नाम	**योजना लिंकेज की स्वीकृत संख्या**		
	महाराष्ट्र	**तमिलनाडु**	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	**51,683**	**3,431**	**271**
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,	**35,302**	**2,100**	**108**
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	**7,679**	**1,005**	**127**
वन नेशन वन राशन कार्ड	**11,344**	**3,207**	**0**
प्रधानमंत्री जन धन योजना	**4,399**	**874**	**125**
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकरण	**174**	**23**	**0**
जननी सुरक्षा योजना	**43**	**43**	**0**
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	**12**	**2**	**0**
कुल	**1,10,636**	**10,685**	**631**

*****